/

मीरा

बनाम

पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य तृतीय आपका पुलिस स्टेशन चेन्नई

(2022 की आपराधिक अपील संख्या 31) 11 जनवरी, 2022

/

[एम**.** आर**.** शाह और बी**.** वी**.** नागरत्ना**,** जे**.** जे**.]**

दंड संहिता, 1860:s.498A-आत्मदाह के कारण विवाहित महिला की मृत्यु-ससुराल वालों के खिलाफ दहेज की मांग का आरोप-सास और एक साल के आर. आई. की दोषसिद्धि-चुनौती-आयोजितःमृतक अपने ससुराल वालों के साथ रह रहा था, जबकि मृतक का पति विदेश में रह रहा था-यह स्थापित और साबित हुआ कि मृतक को उसकी सास (अपीलार्थी) द्वारा आभूषणों के संबंध में यातना/क्रूरता का सामना करना पड़ा था-अपीलार्थी यू/एस की सजा।498-अतः ए को न्यायोचित ठहराया गया-जहां तक सजा सुनाने में उदार दृष्टिकोण की याचिका का संबंध है, घटना 2006 में हुई थी और अपीलार्थी वर्तमान में लगभग 80 वर्ष की है, एक शमनकारी परिस्थिति के रूप में, उसकी सजा को एक वर्ष आर. आई. से घटाकर 3 महीने आर. आई.-महिलाओं के खिलाफ अपराध कर दिया गया।

/

/

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए**,** न्यायालय ने

/

अभिनिर्धारित किया **:1.** यह स्थापित किया गया और साबित किया गया कि मृतक को गहने के संबंध में अपीलार्थी**-**सास द्वारा यातना/क्रूरता का सामना करना पड़ा था।पीडब्लू**-1-**पीड़ित की माँ ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा कि उसकी बेटी को अक्सर उसकी सास द्वारा गहने न पहनने के लिए परेशान किया जाता था।पीडब्लू**-2-**पीड़ित के पिता का बयान भी ऐसा ही था।दोनों गवाहों से जिरह की गई।हालांकि**,** विस्तृत जिरह के बाद**,** वे अपनी बात पर कायम रहे।इसलिए**,** वे दोनों और यहां तक कि पीडब्लू**-3** ने भी अभियोजन पक्ष के मामले का पूरा समर्थन किया।गहने के संबंध में अपीलार्थी**-**अभियुक्त संख्या **2** द्वारा उत्पीड़न और/या यातना और/या क्रूरता पर नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष

थे।नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष साक्ष्य की सराहना पर थे, इसलिए, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा **498** ए के अंतर्गत अपराध के लिए सही ठहराया गया था। **[**पैरा **7] [227-**डी**-**एफ**]** ए

/

/

/

223

224 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 1 एस. सी. आर.

2. विचारण न्यायालय ने धारा **498** ए के अंतर्गत अपराध के लिए एक साल आर. आई. की सजा सुनाई। यह घटना वर्ष **2006** की है।इसलिए, केवल इसलिए कि मुकदमे को समाप्त करने और/या उच्च न्यायालय द्वारा अपील पर निर्णय लेने में लंबा समय बीत चुका है, सजा देने और/या पहले से चली आ रही सजा को लागू करने का कोई आधार नहीं है।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अपीलार्थी-सास को भारतीय विधि सी. की धारा **498** ए के अंतर्गत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। एक महिला होने के नाते, अपीलार्थी, जो सास थी, को अपनी बहू के प्रति अधिक संवेदनशील होना चाहिए था।जब किसी महिला द्वारा किसी अन्य महिला, यानी बहू के साथ क्रूरता करके कोई अपराध किया जाता है, तो यह अधिक गंभीर अपराध बन जाता है।वर्तमान मामले में पीड़ित का पति भी विदेश में रह रहा था।पीड़िता अपने ससुराल वालों के साथ अकेली रह रही थी।इसलिए, यह अपीलार्थी का कर्तव्य था, सास और उसके परिवार के रूप में वह अपनी बहू की देखभाल करे, न कि उसे परेशान करने और/या प्रताड़ित करने और/या उसकी बहू के साथ आभूषणों के संबंध में या अन्य मुद्दों पर क्रूरता करने के बजाय।इसलिए, इस मामले में अपीलार्थी को कोई नरमी दिखाने की आवश्यकता नहीं है।तथापि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि घटना वर्ष **2006** की है और वर्तमान में अपीलार्थी की आयु लगभग **80** वर्ष बताई गई है, मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, एक शमनकारी परिस्थिति के रूप में, सजा को एक वर्ष आर. आई. से घटाकर तीन महीने आर. आई. कर दिया गया है और विचारण न्यायालय द्वारा लगाया गया जुर्माना बरकरार रखा जाएगा।**[**पैरा **8] [227-**जी**-**एच**; 228-**ए**-**डी**]**

/

/

/

/

क्रिमिनलपेलेट न्यायनिर्णयः2022 की आपराधिक अपील संख्या 31।

/

2010 के Crl.A.No.748 में मद्रास में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 30.04.2019 से।

एस. नागमुथु, वरिष्ठ अधिवक्ता, एम. पी. पार्थिबन, ए. एस. वैरावन, आर. सुधाकरन, श्रीमती शालिनी मिश्रा, टी. हरि एच. आरा सुधन, विकास जी. आर., अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

/

/

225

मीरा बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य थिरुवोत्रियूर पुलिस स्टेशन चेन्नई ए

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. भारतीय दंड संहिता (आई. पी. सी.) की धारा 498 ए के अंतर्गत अपराध के लिए उसे दोषी ठहराते हुए निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और आदेश को बरकरार रखते हुए, मद्रास में उच्च विचारण न्यायालय द्वारा 2010 की आपराधिक अपील संख्या 748 में पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी-मूल आरोपी संख्या 2 के संबंध में अब तक उक्त अपील को खारिज कर दिया है, मृतक की मूल आरोपी संख्या 2-सास ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

/

2. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, पीड़ित की मां पीडब्लू-1 रामथिलागम द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि सभी आरोपी-उसके दामाद, उसकी मां, उसकी बेटी और ससुर मृतक को परेशान कर रहे थे और गहने के अभाव में उसे यातना/क्रूरता का शिकार बनाया गया था।आरोप था कि इस वजह से उनकी बेटी ने खुद को आग लगा ली थी।उसे अस्पताल ले जाया गया, हालांकि, उसने दम तोड़ दिया।सभी अभियुक्तों पर भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 498 ए और भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 376 के अंतर्गत आरोप लगाए गए थे। जाँच के बाद, जाँच अधिकारी ने भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 498 ए और 376 के अंतर्गत अपराधों के लिए आरोपी संख्या 1 से 4 के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।

/

/

2.1 यह मामला सत्र न्यायालय को सौंपा गया था, जिसे 2008 के सत्र मामले संख्या 203 के रूप में गिना गया था।विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों के खिलाफ उपरोक्त अपराधों के लिए आरोप विरचित किए।अभियुक्तों ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और इसलिए, उन्होंने उपरोक्त अपराधों के लिए विचारण न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाने का दावा किया।

/

2.2 अभियुक्त के खिलाफ आरोपों को घर लाने के लिए, अभियोजन पक्ष ने सभी 16 गवाहों से पूछताछ की।अभियोजन पक्ष ने उपरोक्त गवाहों के माध्यम से दस्तावेजी साक्ष्य भी दर्ज किए। अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य पूरा होने के बाद, धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत आरोपी के बयान दर्ज किए गए।अभियुक्तों ने पूरी तरह से इनकार किया और कहा कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया था।विचारण न्यायालय ने साक्ष्य की सराहना पर आरोपी संख्या 4 को बरी कर दिया, हालांकि, उसने आरोपी संख्या 1 से 3 को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 498 ए और 376 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया। विचारण न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 498 ए के अंतर्गत अपराध के लिए 1,000 रुपये के जुर्माने के साथ एक साल आर. आई. और भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 376 के अंतर्गत अपराध के लिए 2,000 रुपये के जुर्माने के साथ तीन साल आर. आई. की सजा सुनाई। विचारण न्यायालय ने जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने के मामले में चूक की सजा भी सुनाई।

/

/

/

2.3 निचली अदालत द्वारा दिए गए निर्णय और दोषसिद्धि और सजा के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, आरोपी संख्या 1, मृतक का पति, आरोपी संख्या 2, पीड़ित की सास और आरोपी संख्या 3, पीड़ित की साली ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की।आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने उक्त अपील को आंशिक रूप से अनुज्ञात कर लिया है और भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 307 के अंतर्गत अपराध के लिए सभी

अभियुक्तों को बरी कर दिया है। आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने धारा 498 ए IPC.However के अंतर्गत अपराध के लिए आरोपी Nos.1 और 3 के संबंध में दोषसिद्धि को भी रद्द कर दिया है, उच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 498 ए के अंतर्गत अपराध के लिए आरोपी संख्या 2 के संबंध में दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा है।

/

/

2.4 उच्च विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, अभियुक्त संख्या 2 की अपील को खारिज करते हुए और भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 498 ए के अंतर्गत अपराध के लिए उसे दोषी ठहराते हुए निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और आदेश की पुष्टि करते हुए, मूल अभियुक्त संख्या 2, पीड़ित की सास ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

/

3. हमने अपीलार्थी की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. नागमुथु को सुना है-मूल अभियुक्त संख्या 2।सेवा देने के बावजूद, कोई भी प्रतिवादी राज्य की ओर से पेश नहीं हुआ है।

4. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नागमुथु ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय दोनों ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 498 ए के अंतर्गत अपराध के लिए दोषी ठहराने में गलती की है।

/

4.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मृतक को लगी चोटें गहरी थीं और 96 प्रतिशत तक, वह कोई बयान देने की स्थिति में नहीं होतीं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब माननीय उच्च न्यायालय ने अन्य अभियुक्तों को बरी करते हुए पीडब्लू-1 से पीडब्लू-3 के साक्ष्य पर अविश्वास किया, तो वही पैमाना अपीलार्थी के मामले में भी लागू किया जाना चाहिए था।

/

4.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तव में मृतक नहीं चाहता था कि उसका पति-ए 1 सऊदी अरब वापस जाए और इसके लिए उसने अपने पति और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ झगड़ा किया, जो विवाद/झगड़े का मूल कारण था, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली।यह प्रस्तुत किया जाता है कि मृतक के इस आग्रह के कारण घरेलू झगड़ा कि उसके पति-आरोपी नंबर 1 को सऊदी अरब वापस नहीं जाना चाहिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के संदर्भ में उत्पीड़न के बराबर नहीं होगा।

/

/

227

मीरा बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य

तिरुवनंतपुरम पुलिस स्टेशन चेन्नई [एम. आर. शाह, जे.] ए.

/

4.3 वैकल्पिक रूप से, पीड़ित की सास की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नागमुथु द्वारा यह प्रार्थना की जाती है कि अपीलकर्ता एक वृद्ध महिला है, जो अब 80 वर्ष की हो गई है और इसलिए, यदि यह न्यायालय दोषसिद्धि में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है, तो उस मामले में सजा सुनाते समय एक उदार दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है।5. हमने श्री नागमुथु, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता को लंबे समय तक अपीलार्थी की ओर से पेश होते हुए सुना है।

/

6. हमने निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश के साथ-साथ अपीलार्थी-अभियुक्त संख्या 2-सास को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 498 ए के अंतर्गत अपराध के लिए दोषी ठहराते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश पर भी विचार किया है और विचार किया है। हमने पीडब्लू-1 से पीडब्लू-3 जैसे प्रासंगिक गवाहों के बयानों को भी देखा है।

/

7. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री और विचारण विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों को देखने के बाद, हमारी राय है कि यह स्थापित हो गया है और यह साबित हो गया है कि मृतक को अपीलार्थी-सास द्वारा गहनों के संबंध में यातना/क्रूरता का सामना करना पड़ा था।पीडब्लू-1-पीड़ित की माँ ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा है कि उसकी बेटी को अक्सर उसकी सास द्वारा गहने न पहनने के लिए परेशान किया जाता था।पीडब्लू-2-पीड़ित के पिता का बयान भी ऐसा ही है।उपरोक्त दोनों गवाहों से जिरह की गई।हालांकि, विस्तृत जिरह के बाद, वे जो कुछ भी कह चुके हैं, उस पर कायम हैं।इसलिए, दोनों ने और यहां तक कि पीडब्लू-3 ने भी अभियोजन पक्ष के मामले का पूरा समर्थन किया है।गहने के संबंध में अपीलार्थी-अभियुक्त संख्या 2 द्वारा उत्पीड़न और/या यातना और/या क्रूरता पर नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष हैं।नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष साक्ष्य की सराहना पर हैं, इसलिए, हमारी राय है कि अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 498 ए के अंतर्गत अपराध के लिए सही ठहराया गया है।

/

/

/

8. अब, जहाँ तक अपीलार्थी की आयु को देखते हुए एक उदार दृष्टिकोण लेने के लिए अभियुक्त की ओर से की गई वैकल्पिक प्रस्तुति का संबंध है, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि इस प्रकार विचारण विचारण न्यायालय ने धारा 498 क के अंतर्गत अपराध के लिए एक वर्ष आर. आई. की सजा सुनाई है। हालाँकि, सजा तीन साल आर. आई. तक हो सकती थी। उस समय जब घटना हुई थी, अपीलार्थी लगभग 60-65 वर्षों के बीच था।यह घटना वर्ष 2006 की है। इसलिए, केवल इसलिए कि मुकदमे को समाप्त करने और/या उच्च न्यायालय द्वारा अपील पर निर्णय लेने में लंबा समय बीत चुका है, सजा न देने का कोई आधार नहीं है।

/

/

और/या पहले से गुजर चुकी सजा को लागू करना।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अपीलार्थी-सास को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 498 ए के अंतर्गत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। एक महिला होने के नाते, अपीलार्थी, जो सास थी, को अपनी बहू के प्रति अधिक संवेदनशील होना चाहिए था।जब किसी महिला द्वारा किसी अन्य महिला, यानी बहू के साथ क्रूरता करके कोई अपराध किया जाता है, तो यह अधिक गंभीर अपराध बन जाता है।यदि एक महिला, यानी यहाँ सास किसी अन्य महिला की रक्षा नहीं करती है, तो दूसरी महिला, यानी बहू असुरक्षित हो जाएगी।वर्तमान मामले में पीड़ित का पति भी विदेश में रह रहा था।पीड़िता अपने ससुराल वालों के साथ अकेली रह रही थी।इसलिए, यह अपीलार्थी का कर्तव्य था, सास और उसके परिवार के रूप में वह अपनी बहू की देखभाल करे, न कि उसे परेशान करने और/या प्रताड़ित करने और/या उसकी बहू के साथ आभूषणों के संबंध में या अन्य मुद्दों पर क्रूरता करने के बजाय।इसलिए, इस मामले में अपीलार्थी को कोई नरमी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर बताए गए कारणों के लिए कुछ सजा होनी चाहिए।तथापि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि घटना वर्ष 2006 की है और वर्तमान में अपीलार्थी की आयु लगभग 80 वर्ष बताई जाती है, मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, एक शमनकारी परिस्थिति के रूप में, हम सजा को एक वर्ष आर. आई. से घटाकर तीन महीने आर. आई. करने का प्रस्ताव करते हैं और साथ ही विचारण विचारण न्यायालय द्वारा लगाया गया जुर्माना भी रखा जाता है।

/

/

/

9. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील आंशिक रूप से सफल होती है।अपीलार्थी-मूल अभियुक्त संख्या 2-सास की दोषसिद्धि की एतद्द्वारा पुष्टि/रखरखाव किया जाता है।हालाँकि, भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 498 ए के अंतर्गत अपराध के लिए एक साल के आर. आई. के बजाय, अपीलार्थी को तीन महीने के आर. आई. के कारावास के साथ जुर्माना और विचारण न्यायालय द्वारा लगाई गई चूक की सजा भुगतने का निर्देश दिया जाता है।चूंकि अपीलार्थी जमानत पर है, इसलिए उसका जमानत बांड रद्द कर दिया जाता है और अपीलार्थी अब आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर वर्तमान आदेश के अनुसार सजा काटने के लिए उपयुक्त न्यायालय/जेल प्राधिकरण के समक्ष आत्मसमर्पण करेगा।वर्तमान अपील को उपरोक्त सीमा तक आंशिक रूप से अनुज्ञात गई है।लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तो उनका भी निपटारा कर दिया जाता है।

/

/

/

/

अपील की आंशिक रूप से अनुज्ञात है।

/